न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय (म0प्र0) ग्वालियर

(16)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी-5803/2018/सीधी/भू.रा.

सेमुआ कोल तनय स्व0 श्री रंचा कोल उम्र–50 वर्ष, पेंशा–मजदूरी निवासी ग्राम बटौली, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0) ————निगरानीकर्ता

बनाम

दिनाँक 24-9-18 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत। 24-9-18 ... 28-9-18

1. गजाधर सिंह तनय स्व0 श्री नर्वदा सिंह परिहार उम्र–65 वर्ष,पेशा–खेती, निवासी ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
2. बब्बू सिंह उर्फ बाबूलाल सिंह परिहार तनय स्व0 श्री नर्वदा सिंह परिहार उम्र–55 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
3. रामलाल यादव तनय स्व0 श्री रामजियावन यादव उम्र– 60 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
4. राधे यादव तनय स्व0 श्री रामजियावन यादव उम्र– 52 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
5. मुस0 बुधनी वेवा स्व0 श्री रमुआ कोल उम्र–53 वर्ष, पेशा–मजदूरी निवासी ग्राम बटौली, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म0प्र0)
6. मुनीष कोल तनय स्व0 श्री रमुआ कोल उम्र–32 वर्ष, पेशा–मजदूरी निवासी ग्राम बटौली, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म0प्र0)

———— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला सीधी (म0प्र0) पीठासीन अधिकारी (श्री डी0पी0 वर्मन साहब) के न्यायालय कें अपील प्रकरण क्र0 0011/अपील/17–18 में पारित आदेश

नि0आ0
सेमुआ कोल

दिनांक 20.08.2018 के द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–23/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 को निरस्त कर अनावेदक क्र0 1, 2 की अपील स्वीकार की गई है सें व्यथित निगरानी।

निगरानी अंतर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्यः–

अ. यह कि निगरानीकर्ता एवं अनावेदक क्रमांक 5, 6 आदिवासी कोल जाति के है। अनावेदक क्र0 1, 2 क्षत्रिय ठाकुर जाति सामान्य वर्ग के है जबकि अनावेदक क्रमांक 3, 4 यादव अहिर जाति के सदस्य है जो पिछ़ड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। निगरानीकर्ता एवं अनावेदिका क्रमांक 5 के पति व अनावेदक क्र0 6 के पिता स्व0 श्री रमुआ कोल आपस में सगे भाई थे दोनो की ओर से न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0) के न्यायालय में धारा 170 (ख) म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था अनावेदक क्र0 5, 6 अब निगरानी प्रस्तुत करने में सहयोग नही कर रहे है। इसलिये उनको भी अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया जा रहा है। निगरानीकर्ता एवं अनावेदक क्रमांक 1, 2 के मध्य ही विवाद है अनावेदक क्र0 3 से 6 अधीनस्थ न्यायालयो में पक्षकार थे इसलियें इस निगरानी में भी औपचारिक पक्षकार के रूप में येाजित किया जा रहा है।

ब. यह कि निगरानीकर्ता के पिता एवं अनावेदक क्र0 5 के ससुर व अनावेदक क्र0 6 के बाबा स्व0 श्री रंचा कोल के नाम ग्राम अमहवा तहसील गोपद वनास में वर्ष 1956 से लेकर 1961 तक आराजी खसरा क्रमांक 18 रकवा 0.67 एकड़, 55 रकवा 2.22 एकड़ 57/2 रकवा 2.56एकड़ कुल किता 3 योग रकवा 5.45 एकड़ के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5803/2018/सीधी/भू.रा. सेमुआ विरूद्ध गजाधर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 0011/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19	